



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



14 आश्विन, 1945 (श०)

संख्या - 594 राँची, शुक्रवार,

6 अक्टूबर, 2023 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

12 जून, 2023

ज्ञापांक:- खा.प्र.-01/ NFSA (C.S.S.) 7-1/2023 - 1843--

विषय:- केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न का हथालन-परिवहन एवं डीलर मार्जिन योजना की स्वीकृति के संबंध में ।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत विभागीय संकल्प संख्या-3297, दिनांक 21.10.2014 के आलोक में राज्य में पूर्वविकता प्राप्त गृहस्थ योजना (PHH) एवं अंत्योदय अन्न योजना (AAY) क्रियान्वित की जा रही है जिसके अंतर्गत लाभुकों को अनुदानित दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य को अनुदानित दर पर भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है जिसे झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड राँची द्वारा हथालन-परिवहन करते हुए राज्य खाद्य निगम के गोदाम में पहुँचाया जाता है। तत्पश्चात डोर स्टेप डिलिवरी के माध्यम से खाद्यान्न को राज्य खाद्य निगम के गोदामों से जन वितरण प्रणाली दुकानों तक पहुँचाया जाता

है। उसके पश्चात् जन वितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा खाद्यान्न का वितरण लाभुकों के बीच e-PoS के माध्यम से किया जाता है।

2. इस योजनान्तर्गत खाद्यान्न का परिवहन-हथालन तथा डीलर कमीशन मद में राशि का व्यय राज्य योजना अंतर्गत बजट में उपबंधित राशि से किया जाता है एवं वितरित खाद्यान्न के मात्रा के आधार पर भारत सरकार से Central Assistance की राशि के दावे के आलोक में संबंधित मदों पर भारत सरकार द्वारा Central Assistance की राशि विभाग को प्रदान की जाती है जिसे निकासी कर प्रतिपूर्ति के रूप में राजकोष में जमा करा दिया जाता है।

3. वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदामों तक एवं झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदामों से जनवितरण प्रणाली दुकानों तक खाद्यान्न के परिवहन-हथालन तथा लाभुकों के बीच खाद्यान्न के वितरण हेतु डीलर कमीशन के लिए विभाग द्वारा निम्न प्रकार दर निर्धारित है -

क्र. सं.	व्यय की इकाई	राशि (रूपये प्रति क्विंटल में)
1.	झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची को हथालन-परिवहन हेतु देय संचलन अनुदान	75.00
2.	डोर स्टेप डिलेवरी के लिए परिवहन-व्यय	40.00
3.	जनवितरण प्रणाली दुकानदार को देय कमीशन	100.00
कुल		215.00

4. भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत intra-state movement & handling तथा dealers margin की दर निम्नवत् निर्धारित है। उक्त निर्धारित दर या वास्तविक व्यय दोनों में जो कम हो उसका 50 प्रतिशत राशि Central Assistance के रूप में भारत सरकार से विभाग को प्राप्त होता है। भारत सरकार का दर निम्नवत् है-

Intra-State movement and handling	Dealers' margin		Total
	Basic	Additional margin for sale through point of sale device	
70.00	90.00	21.00	181

5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत योजना के कार्यान्वयन में खाद्यान्न के हथालन-परिवहन एवं डीलर कमीशन पर निर्धारित व्यय भार 215 रुपये प्रति क्विंटल है जबकि भारत सरकार द्वारा अधिकतम दर 181 रुपये प्रति क्विंटल ही निर्धारित है। उल्लेखनीय है कि राज्य में खाद्यान्न का वितरण e-PoS के माध्यम से होता है परन्तु डीलर कमीशन की राशि रुपये 100/- (रुपये एक सौ) प्रति क्विंटल निर्धारित है, अर्थात् डीलर कमीशन के रूप में विभाग को रुपये 111/- प्रति क्विंटल के स्थान पर रुपये 100/- प्रति क्विंटल ही Central Assistance हेतु अनुमान्य होगा। इस प्रकार भारत सरकार से Central Assistance मद में अधिकतम रुपये $70 + 100 = 170$ का 50 प्रतिशत अर्थात् 85 रुपये प्रति क्विंटल की दर से राशि प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार खाद्यान्न वितरण कार्य पर $215 - 85 = 130$ रुपये प्रति क्विंटल की दर का व्यय राज्य सरकार पर भारित है।

6. भारत सरकार, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पत्रांक-15-26/2022-NFSA दिनांक 31.05.2022 द्वारा खाद्यान्न का हथालन-परिवहन एवं डीलर कमीशन के भुगतान कार्य को केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत "Central Assistance released to States/UTs for meeting expenditure on intra-state movement handling of foodgrains and FPS dealers margin under NFSA" तहत नई योजना के अंतर्गत राशि निर्गत करने हेतु दिशा निर्देश दिये गये हैं जिसके अनुसार योजना का क्रियान्वयन Single Nodal Account (SNA) के माध्यम से किया जाना है।

7. झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत संचालित योजनाएँ यथा PHH एवं AAY योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा लाभुकों का निर्धारित लक्ष्य 2,64,25,385 है। लक्ष्य के आलोक में लाभुकों को खाद्यान्न वितरण हेतु प्रतिमाह आवश्यक खाद्यान्न लगभग 1.46 लाख मेन्टन के हथालन-परिवहन तथा डीलर कमीशन पर 31.4 करोड़ रुपये मासिक तथा 377.00 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय संभावित है।

8. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में पूर्व से संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत PHH एवं AAY योजनान्तर्गत खाद्यान्न के परिवहन-हथालन तथा लाभुकों के बीच खाद्यान्न के वितरण हेतु डीलर कमीशन के भुगतान कार्य को भारत सरकार के दिशा निर्देशों के आलोक में केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न का हथालन-परिवहन एवं डीलर मार्जिन योजना के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है। योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देश एवं समय-समय पर प्राप्त होने वाले दिशा निर्देशों के आलोक में किया जायेगा। इस योजनान्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश में उपबंधित राशि में से आवश्यक राशि एकमुश्त निकासी कर Single Nodal Account (SNA) में हस्तांतरित किया जाएगा जिससे नियमानुसार राशि व्यय की जाएगी।

9. यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से आच्छादित है। अधिनियम के आलोक में लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ता भुगतान करने का प्रावधान है। फलस्वरूप इस योजना का निर्बाध संचालन अनिवार्य है। योजना अंतर्गत किसी कारणवश भारत सरकार से Central Assistance की राशि प्राप्त होने में विलंब होता है तो योजना के निर्बाध संचालन हेतु राज्यांश मद में उपबंधित राशि से राशि का व्यय कर योजना का संचालन किया जाना आवश्यक है। वर्णित परिस्थिति में इस योजना के कार्यान्वयन में वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-403, दिनांक 03.12.2013 को क्षान्त करने का निर्णय लिया गया है।

10. प्रस्तुत योजना के कार्यान्वयन के लिए निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची को Single Nodal Agency के रूप में नामित किया गया है एवं भारतीय स्टेट बैंक में Single Nodal Agency खोला गया है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रांश में 150.21 करोड़ रुपये तथा राज्यांश में 229.79 करोड़ रुपये कुल राशि 380.00 करोड़ रुपये का बजट उपबंध प्राप्त है।

11. प्रस्तुत योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपबंधित राशि का व्यय निम्नलिखित बजटशीर्ष अंतर्गत विकलनीय होगा:-

केन्द्रांश:-3456-सिविल पूर्ति-00-796/102/789-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना/ सिविल पूर्ति योजना/अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-79-NFSA अंतर्गत खाद्यान्न का हथालन परिवहन एवं डीलर मार्जिन-00-06-अनुदान-52-सब्सिडी (विपत्र कोड-18-C-3456-00-796/102/789-79-00-06-52)

राज्यांश:-3456-सिविल पूर्ति-00-796/102/789-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना/ सिविल पूर्ति योजना/अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-79-NFSA अंतर्गत खाद्यान्न का हथालन परिवहन एवं डीलर मार्जिन-00-06-अनुदान-52-सब्सिडी (विपत्र कोड-18-S-3456-00-796/102/789-79-00-06-52)

12. प्रस्ताव एवं संलेख पर मंत्रिपरिषद की दिनांक 31.05.2023 की बैठक के मद संख्या-34 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमिताभ कौशल,
सरकार के सचिव ।
